झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक 2016

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक 2016

विषय सूची

धारा।

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

(2) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 में संशोधन।

(3) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(1) एवं 49 (2) में संशोधन।

(4) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क के परन्तुक-I में संशोधन एवं परन्तुक-II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III का विलोपन।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016

(प्रारूप)

<u>प्रस्तावना</u>

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-21, धारा-49 (1) एवं 49 (2) तथा धारा 71(क) के परन्तुक-I में संशोधन तथा धारा 71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III के विलोपन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

i. यह अधिनियम ''छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016'' कहलायेगा,

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में (संथाल परगना प्रमण्डल को छोड़कर) होगा,

iii. यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा- 21 में संशोधन :-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 में 21 (ख) का अन्तःस्थापनः- उक्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद निम्नलिखित धारा 21 (ख) अंतःस्थापित होगीः-

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि के गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे उपयोगों को अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन विरचित नियमों के तहत प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित **मानक दर** के गुणक में होगा। किन्तु मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर, इसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा।

परन्तु :-

(क) अधिनियम की धारा 21 (2)(क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उपर्युक्त शर्तों के अलावे वैसी भूमि पर गैर कृषि लगान उद्गृहीत किया जायेगा, जिनका उपयोग नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्रों के भीतर या बाहर गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा।**

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग इस प्रयोजनार्थ खंड (i) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार अधिसूचित प्रयोजनों के लिए कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, किन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों के भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबंद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने को बाध्य होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन के अधिनियमिति के बाद यदि रैयत लगान के निर्धारण के लिए नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी

के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा।

3. धारा- 49(1) में संशोधन :-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) में 49 (1) (ग) अन्तःस्थापन और धारा 49 (2) में संशोधन, जो वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

" 49 - कतिपय प्रयोजनार्थ अधिभोगी जोत या भूइहरी भूधृति का अन्तरण" :-

1) धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगाः-

(क) किसी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुषंगिक होने या किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग अथवा आवश्यकता के आकलन की घोषणा करे, की दशा में।

(ख) खनन के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुषंगिक होने अथवा किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग एवं आवश्यकता का आकलन की घोषणा करे, की दशा में।

2) ऐसे मामले में अंतरिती इस प्रकार अंतरित भूमि का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ करेगा जिसके लिए भूमि अंतरित की गयी है। किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

विद्यमान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) में धारा 49 (1) (ग) का अन्तःस्थापन और धारा-49 (2) में संशोधन के पश्चात दोनों को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :-

" 49 - कतिपय प्रयोजनार्थ अधिभोगी जोत या भूइहरी भूधृति का अन्तरण" :-

1) धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयेजनों के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगाः-

(क) किसी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुषंगिक होने या किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग अथवा आवश्यकता के आकलन की घोषणा करे, की दशा में।

(ख) खनन के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुषंगिक होने अथवा किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग एवं आवश्यकता का आकलन की घोषणा करे, की दशा में।

धारा-49 (1) (ग) - धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा :- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा।

धारा-49 (2) - धारा 49 (1) की उपधारा (क) (ख) (ग) के अन्तर्गत जोत अन्तरण की दशा में अन्तरिती इस तरह से अन्तरित भूमि-जिस प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की गई हो-से भिन्न अन्य उपयोग के लिए हकदार नहीं होगा एवं

जिस प्रयोजनार्थ भूमि हस्तांतरित की गयी हो यदि उसके लिए उसका उपयोग हस्तान्तरण की तिथि से 5 वर्षों के अन्तराल के अन्दर नहीं होने पर वह मूल रैयतों/उसके/उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पूर्व में भूमि/जोत, हस्तान्तरण के निमित्त किये गए भुगतान को लौटाए बिना वापस हो जायेगी।

4. धारा- 71(क) में संशोधन :-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक I में संशोधन, परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं परन्तुक III का विलोपन, जो वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

71 क अवैध रूप से अंतरित भूमि पर अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति :-

यदि किसी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आए कि किसी रैयत (या मुण्डारी खूँटकट्टीदार या भुइहरी) की, जो अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है, की भूमि का अंतरण धारा-46 या धारा-48 या धारा-240, या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करके या (वादों में कपट दुरभिसंधी द्वारा अभिप्राप्त डिग्रियों सहित) किसी कपटपूर्ण ढंग से किया गया है तो वह अन्तरिती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद, अन्तरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और वह भूमि अन्तरक या उसके उत्तराधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दशा में, उस भूमि को अनुसूचित जन-जाति के किसी दूसरे रैयत के साथ, परित्यक्त जोत के निबटाव की ग्राम रूढ़ि के अनुसार पुनर्बन्दोबस्त कर सकेगा,

‘‘परन्तु यह कि अन्तरिती ने अन्तरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर, ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो तो उपायुक्त, यदि अन्तरक उसका मूल्य चुकाने को इच्छुक न हो तो अन्तरिती को आदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर या

ऐसा विस्तारित समय, जो उपायुक्त अनुमति दे, जो आदेश पारित होने के दो वर्षों से अधिक न हो, उस संरचना को हटा लें। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन या संरचना को हटा दे सकेगा।

परन्तु यह और कि जब उपायुक्त का समाधान हो जाए कि अंतरिती ने ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969 के प्रवृत्त होने के पूर्व ठोस संरचना या भवन का निर्माण किया है तो वह अधिनियम में कोई अन्य उपबंध होते हुए भी ऐसे अन्तरण को विधिमान्य कर सकता है, जहाँ अंतरिती अंतरक को यथास्थिति, कोई वैकल्पिक जोत (भूमि) या उसका कोई भाग आस-पास की भूमि मूल्य के समतुल्य मूल्य पर उपलब्ध कराता है, अन्यथा अंतरक के पुनर्वास हेतु उपायुक्त द्वारा निर्धारित यथेष्ट प्रतिकर का भुगतान करता है।

परन्तु यह भी कि यदि जाँच के बाद उपायुक्त का समाधान हो जाए कि अन्तरिती ने प्रतिकूल कब्जा द्वारा भूमि पर, स्वत्व अर्जित किया है तथा यह कि अन्तरित भूमि को प्रत्यावर्तित या पुनर्बन्दोबस्त कर देना चाहिए तो वह यथास्थिति, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी या अन्य रैयत से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपायुक्त के पास उतनी धन राशि जमा कर दे जितनी वह (उपायुक्त), यथास्थिति, उस रकम को, जिसके लिए वह भूमि अन्तरित की गई थी, अथवा उस भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे, तथा भूमि में किए गए सुधारों के लिए प्रतिकर की ऐसी रकम भी, जो उपायुक्त उचित और सम्यक समझे।

<u>स्पष्टीकरण-I</u>

इस धारा में 'ठोस संरचना या भवन' से अभिप्रेत है वैसी संरचना या भवन जिसका मूल्य जाँच प्रक्रिया शुरू होने के वक्त उपायुक्त के द्वारा मूल्य 10,000/-से अधिक निर्धारित किया गया हो। किन्तु इसमें संरचना या भवन की किसी ऐसी सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है जिसे उस संरचना को मूल रूप में प्रभावित किए बिना हटाया जा सके।

स्पष्टीकरण-II

भूईहरि या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार, जो इस अधिनियम की धारा-18 के प्रावधानों के अधीन अधिभोगी रैयत माने गए हैं, को इस धारा के प्रयोजनार्थ भी रैयत माना जायेगा।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक I में संशोधन, परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं परन्तुक III का विलोपन के उपरान्त उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगाः-

अवैध रूप से अंतरित भूमि पर अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति :-

यदि किसी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आए कि किसी रैयत (या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार या भूईहरी), जो अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है, की भूमि का अंतरण धारा-46 (या धारा-48 या धारा-240) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन कर छलपूर्वक, कपट एवं दुरभिसंधि द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयों सहित किया गया है तो वह अन्तरिती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद, अन्तरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और वह भूमि अन्तरक या उसके उत्तराधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दशा में, परित्यक्त जोत के निबटाव की ग्रामीण परम्परा के अनुसार उस भूमि को अनुसूचित जन-जाति के किसी दूसरे रैयत को पुनर्बन्दोबस्त कर सकेगा,

परन्तु यदि अन्तरिती ने अन्तरण की तारीख से तीस वर्ष के भीतर, ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो तो उपायुक्त, यदि अन्तरक का मूल्य चुकाने को इच्छुक न हो तो, अन्तरिती को आदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से 6 (छः) महीने के भीतर उस भवन या संरचना को हटा ले। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन या संरचना को हटवा दे सकेगा।

<u>स्पष्टीकरण-II</u>

भूइहरी या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार, जो इस अधिनियम की धारा-18 के प्रावधानों के अधीन अधिभोगी रैयत माने गए हैं, को इस धारा के प्रयोजनार्थ भी रैयत माना जायेगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. यह विधेयक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में संशोधन तथा राज्य में गैरकृषि भूमि के उपयोग को विनियमित करने एवं ऐसे उपयोगों के लिए गैरकृषि लगान उद्गृहीत (स्मअल) करने के लिए बनाया जा रहा है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद धारा 21 (ख) निम्नवत अंतःस्थापित होगी।

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों में अधिसूचित गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा एवं मानक दर के गुणक में होगा। यद्यपि मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैद्य रहेगा।

परन्तु (क) : अधिनियम की धारा 21 (2)(क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों यथा-गोदामों तथा पंपहाउसों का निर्माण के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उक्त निहित शर्त्तो के अतिरिक्त नगरपालिका/नगर निगम (शहरी क्षेत्रों) की सीमा के बाहर अथवा भीतर गैर कृषि कार्यों के लिए निर्मित संरचना एवं उपयोग के मैरेज हॉल, होटल जैसे गैर कृषि कार्यों के अध्याधीन भूमि पर गैर कृषि लगान अधिरोपित किया जा सकेगा **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस**

संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा।

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग खंड (i) के अधीन बनाये गये नियमानुकूल अधिसूचित प्रयोजनार्थ कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, परन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबंद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद रैयत यदि नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा।

2. राज्य के लोक कल्याणार्थ कार्यक्रम खनन एवं औद्योगिक प्रयोजनों को छोड़कर यथा सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स और अन्य उपयोगी सेवा यानी पाईप लाईन्स, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवनों, अस्पतालों, आँगनबाड़ी इत्यादि के लिए भूमि अंतरण का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड राज्य के मूलभूत विकास एवं जन सामान्य के हित के लिए इस कठिनाई से निजात पाने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) (ग) अंतःस्थापन एवं 49 (2) में संशोधन की आवश्यकता है।

सी.एन.टी. एक्ट, 1908 की धारा 49 (1) के कतिपय प्रावधान के तहत सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि हस्तांतरण या अर्जन के उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सी.एन.टी. एक्ट, 1908 की धारा 49 (1) में संशोधन कर धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा 49 (2) में संशोधन आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्देश्य के भूमि हस्तांतरण में सहूलियत हो।

धारा-49 (1) (ग) - धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में

निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा :- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71 क के प्रावधान वैसे नागरिकों को जो अपनी जमीन को रख पाने की स्थिति में नहीं हो, उनकी सुरक्षार्थ विधायिका से अभिप्रेत लाभकारी विधायी प्रावधान है। वैसे हस्तानान्तरण जो धारा 46, 48 या 240 या सी.एन.टी. के अन्य प्रावधानों के विपरीत या छलपूर्वक, कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयों सहित सी.एन.टी. की धारा-71 क के अंतर्गत निष्प्रभावी किए जा सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारियों द्वारा जनजातियों की भूमि को गलत तरीके से नियमित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, समय-सीमा विशिष्ट होने की जरूरत है। इस परिपेक्ष्य में सी.एन.टी. की धारा 71 क के परन्तुक I में समय-सीमा में संशोधन की आवश्यकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर अधिकांशतः गलत ढंग से भूमि की मान्यता दी गई। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के अस्तित्व में आने से पूर्व वैसे हस्तान्तरण के मामले विधिमान्य हो सकते हैं, जहाँ सारवान संरचनाएँ (अधिनियम में यथा परिभाषित) ऐसे जोत या इसके भाग पर दिनांक-08.02.1969 से पूर्व निर्मित हुए हों, अर्थात जिस समय से बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 प्रभावी हुआ। यदि 1969 के पूर्व कोई विचारणीय संरचना नहीं है तो उस भूमि को

जनजातियों को वापस किया जाना है। 1969 के बाद अंतरित, धारा-46 के प्रावधानों के विपरीत अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर छलपूर्वक कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयो सहित इस अधिनियम के द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है। हस्तानान्तरण की तिथि से भूमि वापसी हेतु आवेदन देने की अधिकतम समय-सीमा 30 वर्षों की है। यदि यह 1969 के ठीक पहले हो तो समय 1999 के बाद समाप्त हो जाता है। 1999 के बाद उक्त प्रावधान उसकी समय सीमा के कारण अक्रियाशील हो जाता है।

परन्तुक-III अन्तरिती के अवैध दखल के बारे में कहता है। अवैध दखल का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठता है जिसमें अन्तरिती ने 08.02.1969 के पूर्व 12 वर्ष पूरा कर लिया हो।

पुनः इस तरह के मामलों में परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुसार हस्तानान्तरण की तिथि से 30 वर्षों की सीमा से आच्छादित है। एक आदर्श उदाहरण लें कि अन्तरिती ने 08.2.1969 के ठीक पहले 12 वर्ष पूरा कर लिया है तब अन्तरक 08.02.1987 तक भू-वापसी का आवेदन दे सकता है।

धारा 71 क के परन्तुक III के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के मामलों में आवेदन दिए जाने की अधिकतम समय-सीमा 8.2.1987 तक है। दिनांक-8.2.1987 के बाद यह परन्तुक अक्रियाशील हो जाता है। परन्तुक II एवं III वर्षों पूर्व निष्प्रभावी हो जाने के कारण उसे विलोपित करने की आवश्यकता है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण-I सहित) तथा III से समस्या का सम्यक निदान हेतु इसे संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर कर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

छोटानागपुर काश्तकारी (संशोधन) विधेयक-2016 लाने का आधारभूत उद्देश्य छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 क के परन्तुक-I, II (स्पष्टीकरण-I सहित) एवं III को संशोधित/निरसित करने का है।

(अमर कुमार बाउरी)

भारसाधक सदस्य

राजस्व संलेख

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद धारा 21 (ख) निम्नवत अंतःस्थापित होगी।

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(प) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों में अधिसूचित गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी।

(पप) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा एवं मानक दर के गुणक में होगा। यद्यपि मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षो के लिए वैद्य रहेगा।

परन्तु (क) : अधिनियम की धारा 21 (2)(क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों यथा-गोदामों तथा पंपहाउसों का निर्माण के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उक्त निहित शर्त्तो के अतिरिक्त नगरपालिका/नगर निगम (शहरी क्षेत्रों) की सीमा के बाहर अथवा भीतर गैर कृषि कार्यों के लिए निर्मित संरचना एवं उपयोग के मैरेज हॉल, होटल जैसे गैर कृषि कार्यों के अध्याधीन भूमि पर गैर कृषि लगान अधिरोपित किया जा सकेगा **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), सत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा।**

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग खंड (i) के अधीन बनाये गये नियमानुकूल अधिसूचित प्रयोजनार्थ कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, परन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद रैयत यदि नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 (1) में धारा-49 (1) (ग) में निम्नवत् कण्डिका प्रतिस्थापित करने तथा धारा 49 (2) में संशोधन का प्रस्तावः-

राज्य के लोक कल्याणार्थ कार्यक्रम खनन एवं औद्योगिक प्रयोजनों को छोड़कर यथा सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स और अन्य उपयोगी सेवा यानी पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आंगनबाड़ी इत्यादि के लिए भूमि अंतरण का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) के कतिपय प्रावधान के तहत सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि हस्तांतरण के उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 49 (1) में धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा 49 (2) में संशोधन आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण में सहूलियत हो।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 (1) में धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा धारा 49 (2) में संशोधन, जो निम्नवत् पढ़ा जायेगा :-

धारा-49 (1) (ग) -धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में

निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा :- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा।

49 (2)- धारा 49 (1) की उपधारा (क) (ख) (ग) के अन्तर्गत जोत अन्तरण की दशा में अन्तरिती इस तरह से अन्तरित भूमि जिस प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की गई हो उससे भिन्न अन्य उपयोग के लिए हकदार नहीं होगा एवं जिस प्रयोजनार्थ भूमि हस्तांतरित की गयी हो यदि उसके लिए उसका उपयोग हस्तान्तरण की तिथि से 5 वर्षों के अन्तराल के अन्दर नहीं होने पर वह मूल रैयतों/उसके/उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पूर्व में भूमि/जोत हस्तान्तरण के निमित्त किये गए भुगतान को लौटाए बिना वापस हो जायेगी।

3. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क एक विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारियों द्वारा जनजातियों की भूमि को गलत तरीके से वैधीकरण की शिकायतें प्राप्त हो रही है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के परन्तुक II एवं III की गलत व्याख्या कर अधिकांशतः गलत ढंग से भूमि की मान्यता दी गई।

बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के अस्तित्व में आने से पूर्व वैसे हस्तान्तरण के मामले विधिमान्य हो सकते हैं, जहाँ सारवान संरचनाएँ (अधिनियम में यथा परिभाषित) ऐसे जोत या इसके भाग पर दिनांक-08.02.1969 से पूर्व निर्मित हुए हों, अर्थात जिस समय से बिहार अनुसूचित

क्षेत्र विनियमन 1969 प्रभावी हुआ। यदि 1969 के पूर्व कोई विचारणीय संरचना नहीं है तो उस भूमि को जनजातियों को वापस किया जाना है। 1969 के बाद अंतरित, धारा-46 के प्रावधानों के विपरीत अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर छलपूर्वक कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयो सहित इस अधिनियम के द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है। हस्तानान्तरण की तिथि से भूमि वापसी हेतु आवेदन देने की अधिकतम सीमा 30 वर्षों की है। यदि यह 1969 के ठीक पहले हो तो समय 1999 के बाद समाप्त हो जाता है। 1999 के बाद उक्त प्रावधान उसकी समय सीमा के कारण अक्रियाशील हो जाता है।

परन्तुक-III अन्तरिती के अवैध दखल के बारे में कहता है। अवैध दखल का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठता है जिसमें अन्तरिती ने 08.02.1969 के पूर्व 12 वर्ष पूरा कर लिया हो।

पुनः इस तरह के मामलों में परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुसार हस्तांतरण की तिथि से 30 वर्षों की सीमा से आच्छादित है। एक आदर्श उदाहरण लें कि अंतरिती ने 08.02.1969 के ठीक पहले 12 वर्ष पूरा कर लिया है तब अंतरक 08.02.1987 तक भू-वापसी का आवेदन दे सकता है।

धारा 71 क के परन्तुक III के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के कोटि में आवेदन दिए जाने की अधिकतम समय-सीमा 08.02.1987 तक है। दिनांक-08.02.1987 के बाद यह परन्तुक अक्रियाशील हो जाता है। परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III वर्षों पूर्व निष्प्रभावी हो जाने के कारण उसे विलोपित करने की आवश्यकता है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III से समस्या का सम्यक निदान हेतु इसे संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर कर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

छोटानागपुर काश्तकारी (संशोधन) विधेयक-2016 लाने का आधारभूत उद्देश्य छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण-I सहित) एवं III को संशोधित/निरसित करने का है।

(अमर कुमार बाउरी)
भारसाधक सदस्य